न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 20/2020

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1. निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर पत्नि बलवन्त सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

दिनांक रजू:-18.02.2020

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह अधिवक्ता वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

--निर्णय-- दिनांक : 23/02/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 38/39 के मुरब्बा नम्बर 34 की 0.379 हैक्टर नहरी भूमि वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि जरिए बंटवारानामा वादिया के नाम दर्ज हुई है। वादिया का वास्तविक नाम निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर पत्नि बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर है। वादिया के राशन कार्ड संख्या, आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में वास्तविक नाम निन्द्रजीत कौर पत्नि बलवन्त सिंह अंकित है। विधानसभा क्षेत्र श्रीकरणपुर नामावली में भी नाम निन्द्रजीत कौर दर्ज है। उक्त रकबा की जमाबन्दी में वादिया का नाम दर्शन कौर दर्ज है। अन्य तमाम दस्तावेज में निन्द्रजीत कौर दर्ज होने के कारण वादिया को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। संबधित विभाग में अपने दो नाम होने के संबध में एंव अपनी पहचान बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादिया उक्त जंमाबन्दी में अपना नाम निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर घोषित करवाना चाहता है। वादिया ने इस सम्बन्ध में राजस्व कैम्प 14 एफ एफ में लिखित वादपत्र प्रस्तुत कर जमाबंदी में नाम संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिस पर उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्णित भूमि कृषि भूमि चक 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर में स्थित होने के कारण उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वादपत्र पूर्ण न्यायालय शुल्क पर समयावधि के भीतर प्रस्तुत है। वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 38/39 के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 12/1 में 0.126 हैक्टर, किला नम्बर 19 में 0.253 हैक्टर कुल 0.379 हैक्टर नहरी भूमि रकबा में वादिया का नाम दर्शन कौर के स्थान पर निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर घोषित किए जाने के आदेश जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ra
Date: 2021.03.02 11:45:08
Reason: SelfAttested

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। पैराकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। सामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से पत्राक 13035 दिनांक 22.01.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 38 में दर्शन कौर पत्नि बन्ता सिंह 0.379 हैक्टर जाति जटसिख के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

23/02/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। मुताबिक फर्दमौका एंव रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर दर्शन कौर व निन्द्रजीत कौर दोनों एक ही महिला के दो नाम बताये गये। वादिया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया। सामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र वादिया, सरपंच ग्राम पंचायत 14 एफ एफ प्रमाण पत्र, जवाब स्टेट पैराकार राज एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया द्वारा चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 38 में कुल 0.379 हैक्टर नहरी भूमि में अपना नाम दर्शन कौर के स्थान पर निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा इस सम्बन्ध में मौका तैयार किया गया। मुताबिक फर्दमौका दर्शन कौर व निन्द्रजीत कौर दोनों एक ही महिला के दो नाम बताये गये। प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचातय 14 एफ एफ के अनुसार निन्द्रजीत कौर व दर्शन कौर एक ही महिला के दो नाम बताए गए। वादिया के पहचान संबंधी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड संख्या, आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में निन्द्रजीत कौर है। उक्त रकबा की जमाबन्दी में वादिया का नाम दर्शन कौर दर्ज है। ... निन्द्रजीत कौर के स्थान पर निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादिया स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 38 में कुल 0.379 हैक्टर नहरी भूमि में दर्शन कौर पत्नि बन्ता सिंह के स्थान पर निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर पत्नि बन्ता सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

23/02/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

23/02/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:08 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **20/2020**
निर्णय दिनांक :- 23.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 38 में कुल 0.379 हैक्टर नहरी भूमि में दर्शन कौर पत्नि बन्ता सिंह के स्थान पर निन्द्रजीत कौर उर्फ दर्शन कौर पत्नि बन्ता सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है।

आज दिनांक 23.02.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

23/02/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

23/02/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 23/02/21

क्रमांकः राजस्व/ 2021/95
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

23/02/21
{लाखाराम आर.ए.एस}

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:08 IST
Reason: SelfAttested